



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक-16.08.2022

प्रभावी पैरवी कर 02 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा 01 अभियुक्त को 08 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 16/06/2017 को थाना कुरारा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 134/2017 धारा-498आ,304बी भा0द0सं0 व 3/4 डीपी एक्ट में नामजद अभियुक्त पंकज शिवहरे पुत्र गोवर्धन शिवहरे गोवर्धन शिवहरे पुत्र स्वर्गीय शिवराज श्रीमती जय कुमारी पत्नी गोवर्धन शिवहरे निवासी कुसमरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा 01 अभियुक्त को 08 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।